न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर– जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली

प्र0सं0 21/2020 (2020/00034) दर्ज दिनांक 10.02.2020
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

शर्षक

1. अर्पित जैन पुत्र श्री अरूण जैन निवासी दौलतगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवासी 33 कमला हाइट, कमला, विहार, आटूण रोड़, भीलवाड़ा (राज0) डायरेक्टर आर0आर0मिनटेक प्रा.लि0

वादी

बनाम

1. कुलदीप शर्मा पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा निवासी 6–जी–51 आर0सी0 व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) डायरेक्टर आर0आर0 मिनटेक प्रा0लि0
2. बलवीर जैन पुत्र श्री रोशन लाल जैन निवासी –9 अग्रसेन मांगलिक भवन के पास आजादनगर, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) डायरेक्टर आर0आर0 मिनटेक प्रा0लि0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम–गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता वादी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 :– श्री संतोष पारीक

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. ::

निर्णयदिनांक 18.12.2020

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी नं 1 की ओर से प्रा.पत्र 0–7 R–11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा यह वाद बहैसियत डायरेक्टर आर0आर0 मिनटेक प्राईवेट लिमिटेड प्रस्तुत किया है तथा अपने आपको 1/3 हिस्से से डायरेक्टर बताया है। वादी अर्पित जैन ने आर0आर0 मिनटेक प्राईवेट लिमिटेड से दिनांक 08.05.2017 को ही अपना त्यागपत्र दिया ... कम्पनीज एक्ट सेक्शन 2013 के सेक्शन 56 के तहत फार्म नं0 एसएच–4 ऑनलाइन ... किया है, जिसमें अब आर0आर0 मिनटेक प्राईवेट लिमिटेड में ... वादी का आर0आर0 मिनटेक प्राईवेट लिमिटेड में कोई ... डायरेक्टर नहीं है ... अधिकार नहीं होने से ... प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है तथा वादी को कोई बिनायवाद भी उत्पन्न नहीं हुआ है, जिससे वाद इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। अतः सादर प्रार्थना हैं कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित तथ्य का जवाब इस प्रकार हैं कि प्रार्थी जो कि उक्त कम्पनी आर0आर0 मिनटेक प्रा0लि0 में 1/3 हक हिस्से का अंशधारक होकर डायरेक्टर की हैसियत से कार्य करता था व साथ ही कम्पनी मेमोरेण्डम में भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को समान रूप से अंशधारक (शेयर होल्डर) दर्शा रखा है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त कम्पनी में वर्तमान मे डायरेक्टर पद पर कार्य नही करना स्वीकार है। लेकिन आज भी उक्त कम्पनी में वादी का अंश होकर अंशधारी है, जो कि कम्पनी मेमोरेण्डम में अंकित है। प्रार्थी का विवादित सम्पत्ति में भी 1/3 हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर न्यायालय श्रीमान् को गुमराह करने की नियत से मिथ्या तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादी आज भी कम्पनी में अंशधारक है, केवल अपने डायरेक्टर पद से त्यागपत्र दिया है, केवल मात्र डायरेक्टर पद से त्यागपत्र देने से कम्पनी में वादी के विद्यमान हक हिस्से का त्याग दिया जाना नहीं माना जा सकता , अतः वादी कम्पनी में आज भी अंशधारक होकर कम्पनी की सम्पति मे अपना हक हिस्सा रखता है। पद से त्यागपत्र व कम्पनी की सम्पति में हक हिस्सा (अंशधारक) दो पृथक–पृथक विषयवस्तु है, वादी द्वारा कम्पनी में अपने विद्यमान शेयर (अंश धारक) 1/3 हक हिस्से का आज भी त्याग नहीं किया है। इसलिए वादी का कम्पनी की सम्पति में आज भी बराबर बराबर हक हिस्सा निहित है।

कम्पनी की सम्पति में हक हिस्सा अंशधारक की हैसियत से उत्पन्न होता है, न कि डायरेक्टर के पद से इस प्रकार डायरेक्टर का पद कम्पनी में विद्यमान अंशधारक के हक हिस्से को प्रभावित नही करता है। वादी कम्पनी के निर्माण समय से ही कम्पनी में अंशधारक रहा है तथा वादग्रस्त आराजियात कम्पनी द्वारा क्रय किये जाते समय कम्पनी के डायरेक्टर व अंशधारक रहा है व कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टीकल में वादी का 1/3 हक हिस्सा आज भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है अर्थात वादी आज भी कम्पनी सम्पति में अपना बराबर का अंशधारक व हक हिस्सा रखता है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में जो आधार लिये गये है, जो आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परिभाषा में नही आते है। आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थनापत्र के संबंध में केवल वादपत्र में वर्णित तथ्यों का ही अवलोकन किया जाता है, प्रतिरक्षा के तथ्यों अथवा दस्तावेजों का नहीं, वादी द्वारा वादपत्र में अपने सभी तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रखा है, प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र विधि में पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी द्वारा जो तथ्य आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थनापत्र में उठाये है, उसका विवेचन व निर्णय विस्तृत साक्ष्य लिये जाकर ही किया जा सकता है। प्रारम्भिक स्टेज पर नहीं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस करने हेतु निवेदन किया गया अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र के जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया व निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का पेश किया जो विधि के विरूद्ध है। वादी का 33 प्रतिशत शेयर है। उक्त विवादित भूमि एग्रिकल्चर भूमि है। कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टीकल का अवलोकन फरमावें। अतः प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का सव्यय खारिज फरामाया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बहैसियत डायरेक्टर आर0आर0 मिनटेक प्राईवेट लिमिटेड प्रस्तुत किया है तथा अपने आपको 1/3 हिस्से से डायरेक्टर बताया है। वादी अर्पित जैन ने आर0आर0 मिनटेक प्राईवेट लिमिटेड से दिनांक 08.05.2017 को ही अपना त्याग पत्र दे दिया है और कम्पनीज एक्ट सेक्शन 2013 के सेक्शन 56 के तहत फार्म नं0 एसएच–4 ऑनलाईन भी जमा करा दिया है जिसका अवलोकन फरमाया जावें। कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टीकल दिनांक 16.07.2016 कलम संख्या 5 में लिखा है कि समस्त प्रोविजन कम्पनी एक्ट 2013 के अधीन होकर कम्पनी एक्ट के तहत ही विवाद का निस्तारण हो सकेगा। जमाबंदी रेकार्ड में वादी का डायरेक्टर के रूप में नाम अंकन नही है। अतः प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट का सपरिव्यय खारिज किया जाने बाबत् निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा बहस पर मनन् किया गया। गहन मनन् के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादी अर्पित जैन ने आर0आर0 मिनटेक प्राईवेट लिमिटेड से दिनांक 08.05.2017 को ही अपना त्याग पत्र दे दिया है और कम्पनीज एक्ट सेक्शन 2013 के सेक्शन 56 के तहत फार्म नं0 एसएच–4 ऑनलाईन भी जमा करा दिया है तथा दिनांक 08.05.2017 से ही सेवानिवृति का प्रभाव शुरू हो चुका है जिससे वादी वर्तमान में कम्पनी में डायरेक्टर के रूप में नही है जिससे वादी को उक्त कम्पनी में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है तथा जमाबंदी रेकार्ड में वादी का डायरेक्टर के रूप में नाम अंकन नही है। जिससे प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार जाना उचित प्रतित होता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

प्र0सं0 21/2020 (2020/00034)
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰

:: आदेश ::

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰ स्वीकार किया जाता है। एवं प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰ स्वीकार किये जाने से वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गतधारा 188 आर0टी0एक्ट का पोषनीय नहीं होने से वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

आदेश आज दिनांक 18.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

4.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्र0सं0 21/2020 (2020/00034) दर्ज दिनांक 10.02.2020

अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

शर्षक

1. अर्पित जैन पुत्र श्री अरूण जैन निवासी दौलतगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवासी 33 कमला हाइट, कमला, विहार, आटूण रोड़, भीलवाड़ा (राज0) डायरेक्टर आर0आर0मिनटेक प्रा.लि0

वादी

बनाम

1. कुलदीप शर्मा पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा निवासी 6–जी–51 आर0सी0 व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) डायरेक्टर आर0आर0 मिनटेक प्रा0लि0
2. बलवीर जैन पुत्र श्री रोशन लाल जैन निवासी –9 अग्रसेन मांगलिक भवन के पास आजादनगर, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) डायरेक्टर आर0आर0 मिनटेक प्रा0लि0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम–गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰

डिक्री दिनांक 18.12.2020

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार चौधरी, प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री संतोष पारिककी उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ––––×–––––– और इस वाद के खर्च लेखे ––––×–––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×–––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ––––×–––––– द्वारा ––––×–––––– को दी जाए।

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰ स्वीकार किया जाता है। एवं प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰ स्वीकार किये जाने से वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गतधारा 188 आर0टी0एक्ट का पोषनीय नहीं होने से वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner